राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रंमाक सं.3(3)(3)स्था/मंत्रा/अभि./2020/75 47-50 दिंनाक :- 07/07/2020

अभियोजन विभाग में चयनित/आंवटित
अभ्यर्थियों को दस्तावेजो के सत्यापन एवं कॉउंसलिंग के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रंमाक प.1(2)प्र.सु./अनु.-3/2020 जयपुर दिंनाक 18.06.2020 एंव परिपत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये निम्नलिखित 7 (NON-TSP) चयनित अभ्यर्थियों को इस विभाग में जिलो का आवंटन एंव नियुक्ति प्रकिया अपनाई जानी है।

अतः राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के Documents Verification / Counseling का कार्य **दिनांक 13.07.2020** को अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर, कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में किया जाना है।

क्र. स.	मेरिट न.	आवेदन संख्या	रोल न.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	वर्ग
1	18142	201804664793	1506355	ललित जाटोलिया	बाबु लाल जाटोलिया	09.05.1996	Male	SC
2	18149	201803907186	2058546	रोशन लाल महावर	लाल चन्द महावर	10.07.1991	Male	SC
3	18162	201803331601	1823192	रजत कुमार	अमर सिंह	03.07.1990	Male	SC
4	18609	201805513412	1797687	प्रवीण कुमार वर्मा	मोहन लाल वर्मा	20.09.1996	Male	SC
5	18659	201805376543	1417585	गुलशन जाजोरिया	शंकर जाजोरिया	05.03.1997	Male	SC
6	21664	201804905125	2026231	राजेन्द्र कुमार मीणा	जगदीश प्रसाद मीणा	15.07.1995	Male	ST
7	21704	201804324376	1868144	रामजी लाल मीणा	राम करण मीणा	05.07.1992	Male	ST

अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Documents Verification / Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सम्पन किया जावेगा।

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला(अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो को वरियता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जावेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जावेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।
4. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों मे से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति-पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।

5. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Documents Verification / Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है तथा तत्समय कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उनको जिला आवंटन करने में वरियता सबसे अंत में दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।
7. चयनित सभी अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र **क्रमांक 7311 दिनांक 29.06.2020** में दिये गये निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने है। उक्त दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।
8. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड–19 की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालना नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
9. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार Documents Verification / Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा।
10. काउंसलिंग में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते भी नियत की जा सकेगी।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाए विभागीय वेबसाईट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रकियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाईट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करे।

sd/-
(जगदीश कुन्तल)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय) राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागीय कमेटी अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–03) विभाग राज0 जयपुर।
4. स्टोरकीपर अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर को कोविड–19 के रोकथाम के अनुसार कार्यवाही हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय) राजस्थान जयपुर